न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. अशोक कुमार RAS

पंचायत निगरानी संख्या : 114 / 2018

पंचायत समिति आमेर जिला–जयपुर जरिये विकास अधिकारी।

निगरानीकर्ता,

बनाम

1. ग्राम पंचायत बिलौची, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर जरिये सरपंच।
2. रामवतार पुत्र श्री छिगनलाल कुम्हार, ग्राम पंचायत बिलौची, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
3. मोहन पुत्र श्री छिगनलाल कुम्हार, ग्राम पंचायत बिलौची, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
4. भगवान पुत्र श्री छिगनलाल कुम्हार, ग्राम पंचायत बिलौची, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
5. गजानन्द पुत्र श्री छिगनलाल कुम्हार, ग्राम पंचायत बिलौची, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।

गैर–निगरानीकर्तागण,

(पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.08.2009 ग्राम पंचायत बिलौची, पंचायत समिति आमेर द्वारा ग्राम पंचायत में विपक्षी सं0 2 लगा0 5 के पक्ष में जारी पट्टे के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है।)

उपस्थितः–

1. श्री सत्यनारायण शर्मा, अभिभाषक, निगरानीकर्ता की ओर से।
2. गैर–निगरानीकार सं0 1 लगा0 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक–पक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय **दिनांक : 31.03.2021**

यह निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बिलौची द्वारा दिनांक 06.08.2009 को निर्णय पारित कर आवासीय भूमि का पट्टा सं0 13 जारी करने पर पेश की गई है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। निगरानी पेश होने पर गैर–निगरानीकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत बिलौची से मिसल प्राप्त की गई। गैर–निगरानीकार सं0 1 लगा0 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

हमनें विद्वान् अधिवक्ता निगरानीकार की एकपक्षीय बहस सुनी। दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया कि ग्राम पंचायत बिलौची ने विधिक प्रावधानों को दरकिनार करते हुए नियम 146 स्थल निरीक्षण के अनुसार कोई निरीक्षण शुल्क की रसीद नही काटी गई ना ही नियम 146(1) के अनुसार प्रपत्र

21 में रजिस्टर तैयार किया गया। नियमानुसार 200 रूपयें की रसीद काटकर पट्टा दिया जाना चाहिए था, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरूद्ध 260 रूपयें की रसीद काटकर पट्टा जारी किया गया है। इसके साथ ही नियमानुसार नक्शा शुल्क की रसीद भी नही काटी गई है ना ही नक्शे पर नक्शा--नवीश के हस्ताक्षर है। ग्राम पंचायत बिलौची ने विधिक प्रावधानों को दरकिनार करते हुए नियम 148(1)(2) के प्रपत्र 22 का नोटिस जारी किया गया है, परन्तु आपत्ति नोटिस को डिस्पेच नही किया गया। यह नोटिस विधि विरूद्ध तरीके से 1 माह के स्थान पर 15 दिन का जारी किया गया है। जारी किये गये नोटिस/आपत्ति पत्र पर जारी करने की दिनांक व चस्पादगी पर साक्षी के हस्ताक्षर भी नही हुए है। पंचों की कमेटी द्वारा वादग्रस्त स्थल का निरीक्षण किये जाने का कार्यवाही विवरण तैयार किया गया है, परन्तु संबंधित पत्रावली में पंचों के हस्ताक्षर नही है। केवल मात्र सरपंच के ही हस्ताक्षर है। पट्टा पत्रावली में पंचायत द्वारा निर्णय लिखा गया है, परन्तु उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर नही कराये गये है। केवल मात्र सरपंच के हस्ताक्षर है। राजस्थान पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 140 से 168 तक पट्टा जारी करने के प्रावधान है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमों का पालन नही कर घोर अवहेलना की है। गैर–निगरानीकार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पेश करते हुए निवेदन किया कि पंचायत समिति को वादग्रस्त आदेश दिनांक 06.08.2009 की जानकारी नही रही। जानकारी मे आने पर तत्काल निगरानी प्रस्तुत की गई है। अतः निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को उपसमन किया जा कर प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए डिले कण्डोन किया जावें। ग्राम पंचायत बिलौची द्वारा राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994 के नियमों की घोर अवहेलना करते हुए नियम विरूद्ध तरीके से निर्णय दिनांक 06.08.2009 पारित कर पट्टा सं0 13 विधि विरूद्ध तरीके से जारी किया गया है। अतः ग्राम पंचायत बिलौची द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से पारित निर्णय दिनांक 06.08.2009 एवं उसकी अनुपालना में जारी किया गया पट्टा सं0 13 निरस्त किया जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान् अधिवक्ता निगरानीकार की बहस को गौरपूर्वक सुना गया। पंचायत समिति द्वारा प्रस्तुत निगरानी के संलग्न प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रस्तुत करते हुए तथा दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता निगरानीकार ने यह कथन किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 06.08.2009 को पारित निर्णय सर्वथा नियम विरूद्ध है तथा उक्त निर्णय एवं पट्टे की जानकारी उनको नही थी। जानकारी प्राप्त होते ही उनके द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत तर्क के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा डिले कण्डोन किया जाता है।

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आमेर द्वारा प्रस्तुत निगरानी एवं ग्राम पंचायत, बिलौची द्वारा प्रेषित मूल पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर यह स्पष्ट है कि तत्कालीन सरपंच द्वारा नियमों को दर–किनार करते हुए पट्टे जारी किये गये है। पत्रावली में आवेदक श्री रामावतार, मोहन, भगवान, गजानन्द पुत्रान श्री छिगनलाल कुम्हार, निवासी–ग्राम पंचायत बिलौची का प्रार्थना पत्र नही होना पाया गया है। सरपंच द्वारा बिना आवेदन किये ही पट्टे देने की कार्यवाही की

गई है। आज्ञा सूची में दिनांक अंकित नही की गई है, परन्तु 3 वार्ड पंचों की कमेटी बनाई गई थी, जिसके कोई आदेश पत्रावली में नही होना पाये गये है। जांच कमेटी द्वारा भी बिना दिनांक अंकित किये ही निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई। निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि निरीक्षण रिपोर्ट में पूर्व की सीमा का अंकन नही किया गया है, साथ ही बिन्दु सं0 6 का कॉलम भी रिक्त रखा गया है। इस प्रकार निरीक्षण रिपोर्ट अपूर्ण है। आपत्ति नोटिस का अवलोकन करने पर भी उसमें डिस्पेच नं0 एवं दिनांक अंकित नही होना पाया गया है। आज्ञाओ की सूची अनुसार 15 दिवस आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी करने का प्रस्ताव लिया गया है। जबकि नियमानुसार 1 माह का आपत्तिकाल होता है। फैसला फार्म में केवल मात्र सरपंच के हस्ताक्षर है, सचिव के हस्ताक्षर नही होना पाये गये है। पट्टे में नक्शा नवीश के हस्ताक्षर नही होना पाये गये है। जिला परिषद, जयपुर द्वारा अवर सचिव (जांच) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ3 (252)जांच/परावि/आमेर/जय. /12/1386 दिनांक 21.03.2012 के पालना में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर ग्राम पंचायत बिलौची द्वारा जारी किये गये पट्टों की जांच कराई गई थी जिसमें जांच रिपोर्ट अनुसार पट्टे जारी करने की कार्यवाही केवल सरपंच स्तर पर ही किये जाने के कारण तत्कालीन सरपंच को दोषी माना गया है। इसी प्रकार संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग के आदेश क्रमांक पं.13 (1) (129) पं./12/898 दिनांक 22.05.2014 द्वारा भी श्री हीरालाल पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बिलौची द्वारा सरपंच पद पर रहते हुए कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार एवं अपकीर्तिकर आचरण किये जाने के कारण दोषी माना गया है।

अतः उक्त विवेचनानुसार पंचायती राज. विभाग के आदेश की पालना में गठित कमेटी एवं संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग द्वारा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बिलौची द्वारा नियम विरूद्ध जारी किये गये पट्टो के संबंध में दोषी माना गया है तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार भी तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बिलौची द्वारा नियम विरूद्ध रूप से पट्टे जारी किया जाना पाया गया है। अतः सरपंच ग्राम पंचायत बिलौची द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.08.2009 अपास्त किया जाता है तथा सरपंच ग्राम पंचायत बिलौची पंचायत समिति आमेर द्वारा जारी किया गया पट्टा स0 13 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 31.03.2021 सुनाया गया।

31.3.21

(डॉ. अशोक कुमार)

अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ)

जयपुर